न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 25/23 सन् 2023
आरसीएमएस संख्या 2023/181

बउनवानी :– 1. कजोड पुत्र पून्या मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
2. कमला पत्नि मुरारीलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
3. कैलाशी पत्नि चंदालाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
4. भरतलाल पुत्र श्योजी मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
5. मूल्या पुत्र रामा मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
6. लाडबाई पत्नि मोहरपाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
7. लाली देवी पत्नि रामखिलाडी मीना, निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
8. सीताराम पुत्र रंगलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा

बनाम

1. भवंर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा
2. विक्रम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा
3. उपजिला कलेक्टर, बौंली

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपजिला कलेक्टर बौली मे सीआरपीस 145 के तहत विचाराधीन प्रकरण संख्या संख्या 01/2023 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री हिम्मत सिंह राजावत वकील प्रार्थी
2. श्री रघुनन्द सिहं राजावत वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 8.05.2024

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली में सीआरपीसी 145 के तहत विचाराधीन प्रकरण प्रकरण संख्या 01/2023 उनवानी भवंर सिह बनाम कजोड वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहत न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्व एक इस्तगासा हस्ब दफा 145 सीआरपीसी भवंर सिंह वगै0 बनाम कजोड वगै. उपजिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर अन्तर्गत 145 सीआरपीसी मे 1/2023 दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु नियत की गयी जिसमे आगामी तारीख पेशी 14.12.2023 नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 20.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र मूल दावा भवंर सिंह बनाम कजोड मे पुलिस इमदाद से मौके पर कब्जा दिलवाये जाने बाबत स्थिति अन्तरिम निषेधाज्ञा की पालना हेतु पेश किया जिसका जवाब भी प्रर्थीगण द्वारा पेश कर दिया गया है यद्यपि उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने हेतु ही दिया गया लेकिन उपजिला कलेक्टर बौली व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य व्यवहार एवं आचरण से प्रार्थीगण को संदेह उत्पन्न हो गया है कि अंतरिम निषधाज्ञा की आड मे अप्रार्थीगण 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय से साज कर वाद पत्र मे पेश किये गये पुलिस इमदाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार कराकर पुलिस इमदाद से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर देगें। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा जो मूल दावा संख्या 38/22 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022 अन्तर्गत धारा 212 के तहत प[illegible] थे उक्त दोनो दावा व टी.आई प्रार्थना पत्र मुन्तकिल कराने के लिए श्रीमान के न्यायालय मे [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिसको दिनांक 11.1.2023 स्वीकार किया [illegible] कलेक्टर गलारना डूँगर के न्यायालय को सुनवायी हेतु अन्तरित किये जा चुके है [illegible] अन्तरित किये गये [illegible]करणो एवं इस प्रकरण में एक समान ख0न0 एवं समान पक्षकार के [illegible] विवाद है इसलिए उक्त [illegible] को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:07:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 उनवानी कजोड बनाम विक्रम सिहं वगै.)

उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर के समक्ष अन्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि उक्त प्रकरण उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय मे दिनांक 24.8.2023 को दर्ज हुआ है जिसमे द्वितीय आगामी तारीख पेशी 26.10.23 पत्रावली वास्ते तलवी नियत थी। अर्थात प्रार्थीगण के विरूद्व कोई ऐसा आदेश पारित नही हुआ है जिससे उनको न्याय की उम्मीद ना रही हो। जहॉ तक पूर्व प्रकरणों को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे विचाराधीन होने का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे कोई सुनवायी नही होने तथा बौंली के पूर्व पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त प्रकरण को वापस उपजिला कलेक्टर न्यायालय बौंली को अन्तरित करने बाबत एक अन्य मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 24/2023 भवंर सिंह बनाम कजोड न्यायालय हाजा मे जैरकार है जिसमे भी आज बहस हो चुकी है। इसलिए उक्त प्रकरण को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे अन्तरित करने का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार प्रकरण मे देरी करने की गरज से तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि दावा व टी.आई. की पत्रावलिया पूर्व मुन्तकिली प्रार्थना के निर्णयों की पालना में उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा जरिये पत्रांक 775 दिनांक 2.3.2023 से उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को भिजवायी जा चुकी है यदि उक्त प्रकरण को भी उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर मे इसलिए मुन्तकिल करवाना चाहते है क्योकि इस प्रकरण से संबंधित भूमि का दावा एवं टी.आई की पत्रावलियां पूर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.1.2023 से उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय को मुन्तकिल की जा चुकी है। इसलिए इस प्रकरण को भी उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे। किन्तु स्वंय वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के संज्ञान मे लाया गया है कि वकील अप्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण जो वर्तमान मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे जैरकार है को वापस उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने बाबत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमे इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 11.1.2023 की पालना एवं प्रभाव माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 25.1.2023 से स्थिगित की जा चुकी है। इसलिए अब उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा संख्या 38/2022 व टीआई संख्या 46/2022 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर से उपजिला कलक्टर न्यायालय बौंली में मुन्तकिल किये जाने के आदेश भी राजस्व मण्डल मे जैरकार प्रकरण संख्या 600/2023 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै0 मे ही तय होना है। ऐसी स्थिति मे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सें संबंधित प्रकरण को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँ[illegible] किया जाना न्याय संगत नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible]ली प्रार्थना पत्र खारिज किया, जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:07:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner